प्रश्न सं. [क्र. 659]

परिशिष्ट

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 659 द्वारा श्री राजेश कुमार प्रजापति माननीय सदस्य विधान सभा

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

सत्र - फरवरी-मार्च, 2021

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **24/02/2021**

वर्ग : 3 | सदन में उत्तर देने का दिनांक : **04/03/2021** | विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **शासन के नियम निर्देशों का उल्लंघन करने के संबंध में।**

(**अतारांकित** प्रश्न क्रमांक : **3030**) **श्रीराजेश कुमार प्रजापति**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या जिला छतरपुर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के आदेश क्रमांक 141 एवं 142 दिनांक 23/3/ 2010 को शा.उ. मू. दुकान की स्थिति, स्थान एवं संख्या का परिवर्तन किए जाने के आदेश किए गए थे? उक्त अधिकारी का मूल पद एवं नाम बताएं। उक्त आदेशों के संबंध में कब किस के द्वारा जांच की गई थी? जांच का विवरण उपलब्ध कराएं। (ख) क्या न्यायालय कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक/98 /अपील/आदेश, दिनांक 8/1/2013 को 7/5/2012 का आदेश निरस्त करते हुए सक्षम समिति को दिया जाना सुनिश्चित करें प्रत्यावर्ती किया गया था? यदि हां तो 7/5/2012 को आदेश किसके द्वारा किया गया था? मूलपद एवं नाम बताएं। क्या7/5/2012 को आदेश करने वाले अधिकारी द्वारा शासन के नियम का उल्लंघन किया जाना उल्लेखित होता है? (ग) यदि हां तो शासन के नियम के अनुसार कार्रवाई न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश जारी करेगा? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार उक्त अधिकारी द्वारा वर्ष 2010 से 2015 तक कब कहां पर अनुविभागीय अधिकारी के पद पर पदस्थ रहे हुए हैं । उक्त अधिकारी द्वारा कब शा.उ.मू की दुकानों के आदेश संलग्नीकरण एवं आवंटन के आदेश जारी किए गए हैं? उक्त आदेशों की प्रति उपलब्ध कराएं।

खाद्य मंत्री : प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रश्नांश जिसका उत्तर अपेक्षित है । : पूर्ण जानकारी

Sent From : Vidhan Sabha	**Sent Date :** 26/07/2021 05:47:31	**Target Date :**
Remarks :		

Replied By : FOOD & CIVIL SUPPLIES | Reply Date On : **26/07/2021 07:05:10 PM** | Status: **Final** (Sent From : **Vidhan Sabha** | Sent Date : **26/07/2021 05:47:31 PM**)

Answer : **(क)** प्रश्नांकित पत्र क्रमांक 23.03.2010 को नहीं अपितु 26.03.2010 को जारी किया गया था। उक्त आदेश के माध्यम से उचित मूल्य दुकान की स्थिति में परिवर्तन किया गया था। उक्त अधिकारी का नाम श्री मिलिन्द नागदेवे पद अनुविभागीय अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर) है। उक्त आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। उक्त आदेश के संबंध में तत्कालीन जिला आपूर्ति नियंत्रक, रीवा से कराई गई जांच का प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। **(ख)** जी हां। 07.05.2012 का आदेश श्री बी.के. पांडे, तत्कालीन

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिजावर द्वारा पारित किया गया था। उक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध की गई अपील में उक्त आदेश अपीलीय अधिकारी कलेक्टर, छतरपुर द्वारा निरस्त किया गया था एवं इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि शासकीय उचित मूल्य दुकान, दरगुंवा, भोजपुरा, सड़वा एवं सूरजपुरा रोड का संचालन जिला थोक भंडार से पृथक कर सक्षम समिति को दिया जाना सुनिश्चित करें। जी हां, विधिक भूल होने से ही अपील में निरस्त किया गया है। भ्रामक एवं प्रावधानों के विपरीत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले सहकारिता विस्तार अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु उपायुक्त, सहकारिता को आदेशित किया गया था। **(ग)** प्रश्नांश (क) के परिशिष्ट 'अ' में करायी गयी जांच का परीक्षण एवं परिशिष्ट (ख) के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही के संबंध में जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। **(घ)** जिला छतरपुर में श्री मिलिन्द नागदेवे दिनांक 05.02.2010 से दिनांक 30.01.2011 तक अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर के रूप में पदस्थ रहे। उनके द्वारा पत्र क्रमांक 141 एवं क्रमांक 142 दिनांक 26.03.2010 को जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त दुकानों के आवंटन अथवा संलग्नीकरण के अन्य आदेश किया जाना अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। श्री बी.के. पांडे, अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर दिनांक 15.07.2011 से 27.08.2012 एवं 15.05.2013 से 02.09.2014 तक अनुभाग बिजावर में पदस्थ रहे हैं। वे जिले में 02.09.2014 से 10.09.2014 तक अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर पदस्थ रहे। उनके द्वारा दुकानों के संलग्नीकरण एवं दुकानों के आवंटन आदेश की जारी की गई प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार हैं।

अनुभाग अधिकारी
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
संत्रालय